



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-26] रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 अगस्त, 2025 ई० (भाद्रपद 01, 1947 शक सम्वत्) [संख्या-34

विषय—सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु० 3075
भाग 1—दिज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	637—640	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	291—293	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	349—357	975
स्टोर्स पर्चेज—स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग-04

अधिसूचना

08 अगस्त, 2025 ई0

संख्या-439/XX-4/2025-E-90406-राज्यपाल, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988) के अध्याय-2, धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-3(1) सपठित धारा-4(2) के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों के विचारण हेतु श्री मदन राम, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय, देहरादून को उनके वर्तमान प्रभार के साथ विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) के न्यायाधीश के रूप में पदाभिहित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अधिसूचना

08 अगस्त, 2025 ई0

संख्या-440/XX-4/2025-E-90406-राज्यपाल, उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा-5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों के विचारण हेतु सुश्री नीलम रात्रा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम, हरिद्वार को उनके वर्तमान कार्यभार के साथ-साथ हरिद्वार में गठित विशेष न्यायालय (Special Court) के न्यायाधीश के रूप में पदाभिहित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अधिसूचना

08 अगस्त, 2025 ई0

संख्या-441/XX-4/2025-E-90406-राज्यपाल, उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा-5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों के विचारण हेतु श्री हरीश कुमार गोयल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल को उनके वर्तमान कार्यभार के साथ-साथ नैनीताल में गठित विशेष न्यायालय (Special Court) के न्यायाधीश के रूप में पदाभिहित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

शैलेश बगौली,

सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-02

अधिसूचना

(नियुक्ति)

13 अगस्त, 2025 ई0

संख्या-667/XXVIII-2-2025-92/2001-राज्यपाल, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 21 (1), औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 का पैरा 21 (1) (क) एवं औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 21) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित औषधि निरीक्षक, ग्रेड-2 को उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत उपरोक्त अधिनियमों के उपबन्धों के प्रवर्तन हेतु प्राधिकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1- निधि शर्मा | 11- अमित कुमार आजाद |
| 2- विनोद जगूड़ी | 12- रिशभ धामा |
| 3- शुभम् कोटनाला | 13- हरीश सिंह |
| 4- हार्दिक भट्ट | 14- पंकज पंत |
| 5- गोरी कुकरेती | 15- पूजा रानी |
| 6- अर्चना उप्पल | 16- पूजा जोशी |
| 7- निधि रतूड़ी | 17- हर्षिता |
| 8- सीमा बिष्ट चौहान | 18- मौ0 ताजिम |
| 9- मेघा | |
| 10- निशा रावत | |

आज्ञा से,

डा0 आर0 राजेश कुमार,

सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of the article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 667/XXVIII-2-2025-92/2001 Dated- August 13, 2025 for general information.

NOTIFICATION

August 13, 2025

No. 1076/XXVIII-2-2025-92/2001--In exercise of the powers conferred by section 21(1) of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (Act No. 23 of 1940), para 21(1)(a) of the Drugs (Price Control) Order, 1995, and section 8 of the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954 (Act No. 21 of 1954), the Governor is pleased to allow to authorize of the following Drug Inspectors, Grade-2, within the jurisdiction of the State of Uttarakhand for the enforcement of the provisions of the above Acts :-

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1- Nidhi Sharma | 11- Amit Kumar Azad |
| 2- Vinod Jagudi | 12- Rishabh Dhama |
| 3- Shubham Kotnala | 13- Harish Singh |
| 4- Hardik Bhatt | 14- Pankaj Pant |
| 5- Gauri Kukreti | 15- Pooja Rani |
| 6- Archana Uppal | 16- Pooja Joshi |
| 7- Nidhi Raturi | 17- Harshita |
| 8- Seema Bisht Chauhan | 18- Mohd. Tajim |
| 9- Megha | |
| 10- Nisha Rawat | |

By Order,

DR. R. RAJESH KUMAR,

Secretary.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 अगस्त, 2025 ई0 (भाद्रपद 01, 1947 शक सम्वत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

July 19, 2025

No. 248/XIV-a-35/Admin.A/2020--Ms. Deepti Pant, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned child care leave for 100 days w.e.f. 28.01.2025 to 07.05.2025.

NOTIFICATION

July 19, 2025

No. 250/XIV-a-46/Admin.A/2015--Shri Ashwini Gaur, Additional District & Sessions Judge, District Udham Singh Nagar, is hereby sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 26.03.2025 to 09.04.2025 with permission to suffix 10.04.2025 as Mahavir Jayanti holiday.

NOTIFICATION

July 23, 2025

No. 260/XIV-31/Admin.A/2008--Shri Madan Ram, 3rd Additional District & Sessions Judge, Dehradun, is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 22.04.2025 to 02.05.2025 with permission to suffix 03.05.2025 & 04.05.2025 as local and Sunday holidays respectively.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection)

NOTIFICATION

July 30, 2025

No. 266/XIV-84/Admin.A/2003--Shri Sujeet Kumar, the then Registrar, High Court of Uttarakhand presently posted as 1st Additional District Judge, Haldwani District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 30.06.2025 to 11.07.2025 with permission to prefix 28.06.2025 & 29.06.2025 as holiday and suffix 12.07.2025 & 13.07.2025 as second Saturday and Sunday holiday respectively.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

Registrar General.

कार्यालय सभागीय परिवहन अधिकारी,

हल्द्वानी सम्भाग, नैनीताल।

कार्यालयादेश

30 जुलाई, 2025 ई०

पत्रांक:-2439/प्रवर्तन/लाइ०नि०/2025-श्री धीरज जोशी पुत्र श्री गौरी दत्त जोशी निवासी-धुलाई, भवाली, भवाली रेन्ज जिला नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 20.04.2025 को वाहन संख्या यू०के० 04 टी०बी० 2203 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली भवाली जिला नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK0420170188965 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK0420170188965 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

30 जुलाई, 2025 ई०

पत्रांक:-2440/प्रवर्तन/लाइ०नि०/2025-श्री विवके मनोलिया पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद निवासी-नारायण पुरम, बमैठा बंगर, केशव डे, त० लालकुर्छा जिला नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 02.06.2025 को वाहन संख्या यू०के० 04 टी०बी० 8269 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। थानाध्यक्ष थाना काठगोदाम जिला नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK0420170176299 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK0420170176299 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

30 जुलाई, 2025 ई0

पत्रांक:-2441/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2025-श्री इसरार खान पुत्र श्री अतीक खान निवासी- गार्डन हाउस, मल्लीताल नैनीताल तलीताल जिला नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 06.06.2025 को वाहन संख्या यू0के0 04 टी0ए0 3120 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। थानाध्यक्ष थाना काठगोदाम जिला नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK0420095334225 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK0420095334225 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

30 जुलाई, 2025 ई0

पत्रांक:-2442/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2025-श्री बासुकी नाथ साह पुत्र श्री चुल्हाई साह निवासी- राजीव नगर, बिन्दुखता धौली रेंज, लालकुड़ा जिला नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 30.05.2025 को वाहन संख्या बी0आर0 30 ए0के0 3620 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। यातायात प्रभारी यातायात शाखा अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK0420160172069 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK0420160172069 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

30 जुलाई, 2025 ई0

पत्रांक:-2443/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2025-श्री अनिल कुमार पुत्र श्री बाल किशन निवासी- म0सं0-23 हरिनगर सरना च्युरीगाड़ पो0 गुनियालेख त0 धारी जिला नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 25.06.2025 को वाहन संख्या यू0के0 04 टी0ए0 4260 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। थानाध्यक्ष थाना काठगोदाम जिला नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK0420150153657 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK0420150153657 को निरस्त करता हूँ।

विपिन कुमार सिंह,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
हल्द्वानी।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 34 हिन्दी गजट/347-भाग 1-क-2025 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 अगस्त, 2025 ई0 (भाद्रपद 01, 1947 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं0 346439248246 में त्रुटिवश उसका नाम परी दीक्षित (PARI DIXIT) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम तमन्ना दीक्षित (TAMANNA DIXIT) है। जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं. 380 में भी दर्ज है। अविष्य में मेरी पुत्री को तमन्ना दीक्षित (TAMANNA DIXIT) पुत्री श्री संदीप दीक्षित के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

संदीप दीक्षित

पता निवासी—एच0 नं0 662, विनीत नगर रुड़की
जिला—हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

Due to personal reasons, I have changed my name from Trilok Singh to Trilok Singh Bisht in future. I should be known and called as Trilok Singh Bisht son of Shri Khim Singh Bisht.

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Trilok Singh (old name)

resident of village and PO Choting Tehsil-Tharali
District Chamoli Garhwal Uttarakhand

सूचना

मेरी पुत्री वेदांशी (Vedanshi) के हाईस्कूल अनुक्रमांक 25128987 में त्रुटिवश माता का नाम शशि चौहान गलत दर्ज हो गया है। जबकि माता का सही नाम शशि है। जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 0266505 व मेरे आधार कार्ड नं० 961890899271 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को वेदांशी (Vedanshi) पुत्री शशि पत्नी श्री अनुज चौहान के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

शशि पत्नी श्री अनुज चौहान एवं
पुत्री श्री संग्राम सिंह
निवासी—एच०नं०—170,
धोसियाँ पार्क, पोस्ट ज्वालापुर
टाउन हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

I Kumari Anita Goswami (Old Name) W/o Devendra Giri R/o 29, Post office Devnai Silangtoli, Bageshwar Uttarakhand Pin 263641, I have changed My Name From Kumari Anita Goswami (Old Name) to Anita Goswami (New Name)

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Kumari Anita Goswami (Old Name)
W/o Devendra Giri R/o 29, Post office
Devnai Silangtoli, Bageshwar
Uttarakhand

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 989346843788 में त्रुटिवश मेरा नाम VIRENDRA SINGH गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा सही नाम BIRENDRA SINGH है। जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं. 268125 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे BIRENDRA SINGH S/O LAKHI SINGH के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

BIRENDRA SINGH S/O LAKHI SINGH
निवासी—म.नं.-01, ग्राम बनगौव टिहरी गढ़वाल
उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं० 660036941621 में त्रुटिवश मेरा नाम दोलत सिंह (DOLAT SINGH) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम दयाल सिंह (DAYAL SINGH) है। जो मेरे स्थाई निवास प्रमाण-पत्र सं० UK25ES0100222088 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे दयाल सिंह (DAYAL SINGH) पुत्र स्व० गुलाब सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

दयाल सिंह (DAYAL SINGH) पुत्र स्व० गुलाब सिंह
निवासी ग्राम चोरडा पोस्ट सिलपाटा, गैरसँण
चमोली उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड संख्या 242776268841 व पेन कार्ड नंबर CVUPB3629P व पहचान पत्र संख्या FYJ2129302 में मेरा नाम खुदा बक्श (KHUDA BAKSH) दर्ज है तथा मेरे यूको बैंक खाता, डीएल व खाता खतौनी संख्या 01010200192 में मेरा नाम नत्थू (NATHU) दर्ज है। ये दोनों नाम खुदा बक्श (KHUDA BAKSH) व नत्थू (NATHU) एक ही व्यक्ति के हैं। भविष्य में प्रार्थी को दोनों नाम से जाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

श्री खुदा बक्श
निवासी घनौला सहस्त्रधारा
देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं० 714003337379 में मेरा नाम देवी (DEVI) दर्ज है। जबकि मेरे जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं० B-2023:5-01020-000010 में मेरा नाम देवेश्वरी उर्फ देवी अंकित है। ये दोनों ही नाम मेरे हैं। भविष्य में मुझे दोनों नामों देवेश्वरी उर्फ देवी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

देवेश्वरी उर्फ देवी
निवासी ग्राम चोरडा पोस्ट सिलपाटा,
गैरसँण चमोली उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं. 992247520565 में उसका नाम अभिमन्यु कौशिक दर्ज है। लेकिन मैंने निजी कारणों से अपने पुत्र का नाम अभिमन्यु कौशिक से बदलकर सार्थक कौशिक कर लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को सार्थक कौशिक पुत्र नितिन शर्मा के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

नितिन शर्मा

निवासी-पता 527 / 18(1366) प्रीत विहार
गणेशपुर रुडकी जिला-हरिद्वार उत्तराखण्ड

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 279608826867 में त्रुटिवश मेरा घरेलू नाम अन्नू (ANNU) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम अनुज कुमारी (ANUJ KUMARI) है। जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं. 0008929 व पहचान पत्र नं. SZB0140244 में दर्ज है। भविष्य में मुझे अनुज कुमारी (ANUJ KUMARI) पत्नी भानु प्रताप सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अनुज कुमारी (ANUJ KUMARI) पत्नी भानु प्रताप सिंह
निवासी 62 पीएनबी एन्क्लेव एसईडब्ल्यूएलए कला,
माजरा देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

I have changed my son's old name AARAV NAUTIYAL to the new name SRIYAN NAUTIYAL.
In future, my son will be known by the new name SRIYAN NAUTIYAL.

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

SANJAY NAUTIYAL s/o Shri Girish Dutt Nautiyal
R/o 31 Syed Mohalla Anshik,
Near Yamuna Colony Dehradun
Uttarakhand 248001

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं. 944329814769 में त्रुटिवश उसका नाम AADVTKA गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम अदविका (AADVIKA) है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं० 8872 व पासपोर्ट नं० V9853945 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री अदविका (AADVIKA) पुत्री सारिका पत्नी श्री आशीष कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सारिका पत्नी श्री आशीष कुमार
निवासी दून यूनिवर्सिटी के पीछे
केदारपुर देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नंबर 392948899157 में उसका नाम Avni दर्ज है अब हमने उसका नाम Avni से बदलकर Avika Singh रख दिया है भविष्य में मेरी पुत्री को Avika Singh के नाम से जाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अशवनी कुमार

निवासी टिकौला कला पोस्ट गुरुकुल
नारसन जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधारकार्ड नं०-834307654059 में त्रुटिवश मेरा नाम-KHUSRO SHABEEH NOOR व पिता का नाम-NOORUDDIN AHMED गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम-SARAJAFARASERI व पिता का सही नाम NOOROODEENAHAMAD है। जो मेरे पैनकार्ड नं०-EHSPS0989H व पहचान पत्र सं०-IBG1980234 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे SARAJAFARASERI S/O NOOROODEENAHAMAD के नाम से जाना-पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

SARAJAFARASERI
S/O NOOROODEENAHAMAD

निवासी-ई-3/311-312 एम०डी०डी०ए० कालोनी
अजबपुर कलां डिफेंस कालोनी, देहरादून
उत्तराखण्ड

कार्यालय-नगर निगम, काशीपुर जिला-ऊधमसिंहनगर

26 जुलाई, 2025 ई0

पत्रांक-439/मु0कार्यालय/2025-26-नगर निगम काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड) की धारा 541 के अन्तर्गत नगर निगम सीमान्तर्गत विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक लाईसेन्स पंजीकरण/नवीनीकरण को नगर निगम काशीपुर की स्वीकृति के अनुसार लाईसेन्स/पंजीकरण उपविधि-2017 संशोधित उपविधि-2023 के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवसायियों पर लाईसेन्स पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क में लाईसेन्स पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क उपविधि-2025 द्वारा निम्नानुसार संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

लाईसेन्स पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु दरें निम्नवत् रहेंगी :-

S.No	Trade Category	Trade-Id	Trade Name	License Fees
1	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाउस	1	01 से 10 बेड तक	4000
		2	11 से 25 बेड तक	8000
		3	26 से 50 बेड तक	12000
		4	50 से अधिक	16000
		5	होटल मय बार रेस्टोरेन्ट	16000
		6	अन्य मद यदि कोई हो	3000
2	हॉस्टल	7	01 से 10 बेड तक	3000
		8	11 से 25 बेड तक	6000
		9	26 से 50 बेड तक	9000
		10	50 से अधिक	12000
		11	अन्य मद यदि कोई हो	2000
3	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/प्रसूति गृह	12	01 से 10 बेड तक	2000
		13	11 से 25 बेड तक	5000
		14	26 से 50 बेड तक	8000
		15	50 से अधिक	15000
		16	अन्य मद यदि कोई हो	1000
4	हेल्थ केयर	17	पैथोलोजी सेंटर	1500
		18	डायग्नोस्टिक सेंटर(अल्ट्रासाउण्ड/सीटी स्कैन/एम0आर0आई0)	
		19	समस्त क्लीनिक	
		20	फिजियोथैरेपी सेंटर	
		21	योगा केन्द्र/जिम/व्यायामशाला	
		22	समस्त मेडिकल स्टोर	
		23	पशु चिकित्सालय	2500
		24	अन्य मद यदि कोई हो	1000
5	ट्रांसपोर्ट एजेंसी	25	ट्रांसपोर्ट एजेंसी(बिना वाहन)	2000
		26	ट्रांसपोर्ट एजेंसी(वाहन सहित)	2000
		27	छोटे वाहन(कार, पिकअप इत्यादि)	2000
		28	बड़े वाहन(बस, ट्रक इत्यादि)	3000
		29	ट्राली/वाटर टैंक/सीवेज टैंक	1000

		30	स्कूल बस/वेन	1000
		31	टैक्सी सर्विस	3000
		32	बाईक/स्कूटर/मोटर/साईकिल/रिक्शा एजेन्सी (सेल्स एंड सर्विस)	5000
		33	ऑटो रिक्शा एजेन्सी	5000
		34	अन्य मद यदि कोई हो	500
6	एजुकेशन सेन्टर	35	समस्त निजी स्कूल (प्राईमरी/जू0हाईस्कूल)	3500
		36	समस्त निजी स्कूल(हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट स्कूल)	5000
		37	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	2000
		38	समस्त कोचिंग सेंटर	2000
		39	अन्य मद यदि कोई हो	1000
7	रेस्टोरेन्ट	40	रेस्टोरेन्ट/ढाबा/भोजनालय	2000
		41	बार/पब	8000
		42	फास्ट फूड सेन्टर	1500
		43	अन्य मद यदि कोई हो	1000
8	पेट्रोलियम	44	पेट्रोल पम्प/चार्जिंग सेन्टर/सी0एन0जी0 सेन्टर	2000
		45	कुकिंग गैस एजेन्सी	5000
		46	अन्य मद यदि कोई हो	1000
9	समस्त फैक्ट्री/मिल	47	आईस फैक्ट्री/कोल्ड ड्रिंक/सोडा/बॉटर फैक्ट्री/ साबुन फैक्ट्री	3000
		48	भूसा स्टोर	1500
		49	एक्सपेलर/आसवानी/शराब बॉटलिंग प्लांट	2000
		50	समस्त चक्की	500
		51	मिल/कारखाना/फैक्ट्री	6000
		52	अन्य मद यदि कोई हो	500
10	वर्कशॉप	53	समस्त प्रकार की वर्कशॉप/डेंटिंग पेंटिंग	1000
11	पॉवर	54	समस्त पॉवर एच0पी0 मशीन	1500
12	लाइवस्टॉक/एनिमल हस्बेन्ड्री/मांस की दुकान	55	मीट/अण्डा फंड विक्रेता	1000
		56	मीट शॉप	2500
		57	दूध से बनी सामग्री	2500
		58	पशु वधशाला	7500
		59	मुर्गी फार्म (मांस/अण्डा)	6000
		60	समस्त प्रकार के पशुधन विक्रेता	2250
		61	अन्य मद यदि कोई हो	1000
13	बैंकिंग/इंश्योरेन्स	62	इंश्योरेन्स कम्पनी	7500
		63	बैंक	10000
		64	प्रति ए0टी0एम0	4500
		65	फाइनेंस कंपनी/चिट फंड/मनी लेंडर/एक्सचेंजर	5000
		66	अन्य मद यदि कोई हो	3500
14	लिकर रिटेल	67	देशी शराब की दुकान	5000
		68	देशी शराब की दुकान मय कैटीन/गोदाम	8000
		69	विदेशी शराब की दुकान	10000

		70	विदेशी शराब की दुकान मय कैंटीन/गोदाम	15000
		71	अन्य मद यदि कोई हो	4000
15	रिटेल शॉप/स्टोर/ मिठाई की दुकान	72	समस्त (दुकानें/स्टोर)	2000
		73	मिठाई की दुकान	1000
		74	मिठाई की दुकान मय जलपान	2500
		75	मिठाई की दुकान मय रेस्टोरेन्ट	5000
		76	अन्य मद यदि कोई हो	500
16	स्ट्रीट वैंडर	77	समस्त (ठेला/फड़ व्यवसायी/स्टॉल/खोखा)	500
17	फर्म/कम्पनी/एजेन्सी	78	समस्त (सेवा प्रदाता/कार्यालय/एजेन्सी/मैरिज ब्योरो)	2000
		79	अन्य मद यदि कोई हो	1000
18	समस्त लकड़ी की टाल	80	समस्त लकड़ी की टाल/कारखाना	500
19	धर्म काँटा	81	धर्म काँटा	1500
20	समस्त संग्रह केंद्र	82	समस्त संग्रह केंद्र	1000
21	पटाखों की दुकान	83	रिटेल	2000
22	होलसेल(थोक विक्रेता)/ गोदाम	84	होलसेल(थोक विक्रेता)/गोदाम	10000
23	हाट बाजार	85	दैनिक/साप्ताहिक हाट बाजार	1000
24	वाहन धुलाई सेन्टर	86	समस्त प्रकार के वाहन धुलाई सेन्टर	3000
25	ब्यूटी पार्लर	87	समस्त प्रकार के ब्यूटी पार्लर	1000
26	कबाड़ व्यवसायी	88	समस्त प्रकार के कबाड़ व्यवसायी	2000
27	लोहार	89	समस्त प्रकार के लोहार	500
28	आरा मशीन	90	समस्त प्रकार की आरा मशीन	2000
29	वेल्डिंग शॉप	91	एलुमिनियम/लोहा वेल्डिंग शॉप	2000
30	ड्राईक्लीनर्स	92	समस्त प्रकार की ड्राईक्लीनर्स शॉप	1500
31	ब्रांडेड शोरूम	93	कपड़ा/ज्वेलरी/जूता/चश्मा	4000
32	कम्प्यूटर	94	हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की दुकान	2000
33	केबिल/डिस्क टी0बी0 ऑपरेटर	95	समस्त प्रकार के केबिल/डिस्क टी0बी0 ऑपरेटर	2000
34	स्टूडियो	96	फोटो स्टूडियो/वीडियो ग्राफर	2000
35	कुरियर सर्विस/लॉजिस्टिक	97	समस्त प्रकार के कुरियर सर्विस/लॉजिस्टिक मैनेजमेंट	2000
36	ई-मेल/ई-कॉमर्स/इंटरनेट/ साईबर कैफे/सी0एस0सी0 सेन्टर	98	समस्त प्रकार के ई-मेल/ई- कॉमर्स /इंटरनेट/ साईबर कैफे/सी0एस0सी0 सेन्टर	2000
		99	अन्य मद यदि कोई हो	1500
37	टैन्ट हाउस/कैटर्स/डी0जे0 साउन्ड	100	समस्त प्रकार के टैन्ट हाउस/कैटर्स	3000
		101	डी0जे0 साउन्ड	2000
38	प्रिंटिंग प्रेस	102	समस्त प्रकार के प्रिंटिंग प्रेस	2000
39	पौधों की नर्सरी	103	समस्त प्रकार के पौधों की नर्सरी	2000
40	पूजा सामग्री	104	समस्त प्रकार की पूजा सामग्री	500
41	ऑटो उपकरण	105	समस्त प्रकार के ऑटो उपकरण	2500

42	गैराज	106	गैराज पार्किंग हेतु	1000
43	ट्रेनिंग स्कूल	107	समस्त प्रकार के मोटर प्रशिक्षण केन्द्र	2000
44	चाय/कॉफी की दुकान	108	चाय/कॉफी की दुकान	500
45	स्टोन क्रेशर	109	स्टोन क्रेशर	15000
46	एडवरटाइजिंग एजेन्सी	110	एडवरटाइजिंग एजेन्सी	7500
47	प्रदर्शनी/सर्कस/वाटर पार्क	111	प्रदर्शनी/सर्कस/वाटर पार्क	5000
48	सिनेमा हॉल	112	सिनेमा हॉल	5000
49	शॉपिंग मॉल	113	शॉपिंग मॉल	10000
50	फूल विक्रेता	114	फूल विक्रेता	500
51	सांस्कृतिक या धार्मिक मेला/त्योहार	115	सांस्कृतिक या धार्मिक मेला/त्योहार	500
52	अन्य मद यदि कोई हो	116	अन्य मद यदि कोई हो	1000

उपरोक्त लाईसेन्स की संशोधित दरों के साथ निम्न बिन्दु भी प्रभावी रहेंगे।

- 01- लाईसेन्स प्रपत्र शुल्क 50/- रुपये जमा करना अनिवार्य होगा।
- 02- उपरोक्त लाईसेन्स निर्धारित अवधि, प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु 30 अप्रैल तक बनवाना अनिवार्य होगा।
- 03- 30 अप्रैल तक लाईसेन्स न बनवाने अथवा नवीनीकरण न कराने की स्थिति में 01 मई से 31 जुलाई तक लाईसेन्स शुल्क के अतिरिक्त लाईसेन्स शुल्क का 10 प्रतिशत विलम्ब शुल्क देय होगा।
- 04- 01 अगस्त से 31 अक्टूबर तक लाईसेन्स शुल्क के अतिरिक्त लाईसेन्स शुल्क का 15 प्रतिशत विलम्ब शुल्क देय होगा।
- 05- 01 नवम्बर से 31 मार्च तक लाईसेन्स शुल्क के अतिरिक्त लाईसेन्स शुल्क का 50 प्रतिशत विलम्ब शुल्क देय होगा।
- 06- वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रत्येक वर्ष के लिए 500/- प्रति वर्ष समाधान शुल्क उपरोक्त विलम्ब शुल्क के साथ वर्ष 2024-25 तक के लाईसेन्स प्रकरणों में मान्य होगा।
- 06- वित्तीय वर्ष 2025-26 (01.04.2025 से 31.03.2026 तक) के लाईसेन्स पंजीकरण एवं नवीनीकरण में विलम्ब शुल्क के साथ 12 प्रतिशत साधारण ब्याज की गणना के अनुसार निर्धारित राशि जमा की जानी होगी।
- 07- उपरोक्त प्रकरणों में किसी विशेष परिस्थिति में महापौर एवं कार्यकारिणी समिति में विशेषाधिकार होगा।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, काशीपुर।

महापौर,
नगर निगम, काशीपुर।